संख्या-20/2016/1385/55-पर्या-2016-56(रिट)/2016

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

2- निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

3- प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0,
कानपुर।

4- सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

5- प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग लखनऊः दिनांकः 25 मई, 2016

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली (एन0जी0टी0) में विचाराधीन वादों का प्रभावी अनुश्रवण एवं पर्यावरण विभाग द्वारा लखनऊ एवं नई दिल्ली में आहूत बैठकों में भाग लेने हेतु नोडल अधिकारी नामित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लम्बित वादों की समीक्षा में यह पाया गया है कि सामान्यतः इन वादों में एक से अधिक विभाग एवं उनके अधीनस्थ निगम/उपक्रम/प्राधिकरण/संस्थान आदि के स्तर पर समयबद्व कार्यवाही अपेक्षित होती है। एक ही वाद में कई विभाग एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं के सम्मिलित होने के कारण प्रत्येक पक्षकार द्वारा मा0 अधिकरण में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अपेक्षित होता है। किसी भी एक विभाग अथवा उसके संस्थान से प्रतिशपथ पत्र दाखिल न किये जाने की दशा में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को नोटिस निर्गत कर दी जाती है। इस समस्या के निराकरण हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा आहूत वादों की समीक्षा बैठकों में विभिन्न विभागों से प्रायः नये-नये अधिकारी उपस्थित होते हैं, जिनको प्रकरण की सामान्यतः पूरी एवं अद्यतन जानकारी नहीं होती है। अतः ऐसी स्थिति में वादों की प्रगति की समीक्षा में कठिनाई होती है।

2- मा0 अधिकरण में योजित अधिकांश वाद, वायु, जल, एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देश में मुख्यतः नगर विकास/ पंचायती राज/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/श्रम/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/आवास एवं शहरी नियोजन/ऊर्जा/वैकल्पिक ऊर्जा/ ग्राम्य विकास/ पर्यावरण विभाग/ परिवहन विभाग/ गृह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विभाग/लोक निर्माण विभाग/शिक्षा विभाग/ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग/वन विभाग/उद्यान विभाग/कृषि विभाग एवं इनके अधीनस्थ संस्थाओं/ अभिकरणों से संबंधित होते हैं। अतः इन विभागों की ओर से विशेष रूप से वादों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित होता है।

3- अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की वेबसाइट पर लम्बित वादों की सूची को संज्ञान में लेकर अपने विभाग से संबंधित वादों में विभागीय अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिशपथ पत्र समयान्तर्गत दाखिल कराकर वादों का प्रभावी अनुश्रवण/पैरवी सुनिश्चित किये जाने तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर आहूत समीक्षा बैठकों और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण बैठकों में प्रतिभाग किये जाने हेतु समस्त संबंधित विभाग लखनऊ एवं दिल्ली के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नामित करें। कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि पर्यावरण विभाग द्वारा आहूत बैठकों में नामित नोडल अधिकारियों द्वारा ही प्रतिभाग किया जाये।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-20/2016/1385(1)/55-पर्या-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- उपनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण निदेशालय, मेरठ।
4- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा, मेरठ एवं गाजियाबाद (द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ)।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।